भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 561**

वाणिज्य विभाग

दिनांक 03 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा टैरिफ

561. डॉ. अमर सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों की इस चिंता का संज्ञान लिया है कि मौजूदा अमेरिकी टैरिफ पहले से ही भारत के निर्यात को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आगे शुल्क वृद्धि से ऑर्डर की मात्रा में गंभीर रूप से व्यवधान आ सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा किए गए निर्यात प्रभाव आकलन का चमड़ा, वस्त्र और श्रम-प्रधान विनिर्माण जैसी संवेदनशील उत्पाद श्रेणियों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्यातकों को बाजार विविधीकरण सहायता, व्यापार सुगमता सहायता और समय पर नीतिगत राहत सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख)

वाणिज्य विभाग, राज्य सरकार, निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है ताकि व्यापार की बदलती स्थिति का आकलन किय जा सके ।

भारत सरकार अपने निर्यात की निगरानी और उसे बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। वर्ष 2025 में अप्रैल से दिसंबर की अवधि के लिए पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में भारत के पण्यवस्तु निर्यात कार्य निष्पादन का विवरण नीचे दिया गया है:

भारत का निर्यात (मूल्य बिलियन अमेरिकी डॉलर में)

भारत का निर्यात	अप्रैल-दिसंबर-2024	अप्रैल-दिसंबर -2025
यूएसए	60.03	65.88
विश्व	322.41	330.24

स्रोत:डीजीसीआईएस

(ii) भारत के वैश्विक पण्यवस्तु निर्यात का क्षेत्रीय कार्य निष्पादन निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://tradestat.commerce.gov.in/ftspcc/export_commodity_wise

(ग) सरकार अमेरिकी टैरिफ उपायों के भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए एक व्यापक बहुआयामी कार्यनीति पर काम कर रही है जिसमें भारत-अमेरिका के बीच पारस्परिक रूप से द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन बातचीत, आरबीआई के व्यापार राहत उपायों के माध्यम से तत्काल राहत, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के माध्यम से घरेलू मांग में वृद्धि, निर्यात संवर्धन मिशन जैसे निर्यात संवर्धन उपायों जो हमारे निर्यातकों को सहायता और समर्थन प्रदान करते हैं, नए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) को आगे बढ़ाना और मौजूदा एफटीए का बेहतर उपयोग करना शामिल है। यह उम्मीद की जाती है कि ये उपाय भारत के व्यापार संबंधों में विविधीकरण और लचीलापन भी बढ़ाएंगे।

उपर्युक्त उपायों का विवरण निम्नवत है:

1. निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम)
यह मिशन निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित ढॉचा प्रदान करेगा, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक कुल 25,060 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। ईपीएम कई अलग-अलग योजनाओं से एकल, परिणाम आधारित और अनुकूलनीय तंत्र की ओर एक कार्यनीतिक बदलाव है, जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और निर्यातकों की बदलती जरूरतों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है।

यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से संचालित है:

i. निर्यात प्रोत्साहन –ब्याज सब्सिडी, निर्यात फैक्टरिंग, संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण संवर्धन सहायता जैसे विभिन्न साधनों के माध्यम से एमएसएमई के लिए लागत प्रभावी व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार लाने पर केंद्रित है।

ii. निर्यात दिशा – गैर-वित्तीय सहायक कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाते हैं, जिनमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक, अंतर्देशीय परिवहन प्रतिपूर्ति और व्यापार आसूचना एवं क्षमता-निर्माण पहल शामिल हैं।
इस मिशन का उद्देश्य भारतीय निर्यात को बाधित करने वाली संरचनात्मक चुनौतियों का सीधे तौर पर समाधान करना है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुँच,
- अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के अनुपालन की उच्च लागत,
- अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और खंडित बाजार पहुंच, और
- आंतरिक और कम निर्यात-गहन वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक संबंधी असुविधाएँ।

ईपीएम के तहत, हाल ही में वैश्विक टैरिफ में हुई बढ़ोतरी से प्रभावित क्षेत्रों, जैसे कि वस्त्र, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद और समुद्री उत्पाद, को प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। इन उपायों से निर्यात ऑर्डर बनाए रखने, रोजगार की रक्षा करने और नए भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

2. **निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना** को भी मंज़ूरी दे दी गई है, जिसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को पात्र निर्यातकों, जिनमें लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भी शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त बिना गारंटी वाली ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने और नए एवं उभरते बाजारों में विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

3. **व्यापार राहत उपाय** :- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पात्र प्रभावित निर्यातकों के लिए व्यापार राहत उपायों भी शुरू किए हैं, जिनमें ऋण चुकौती स्थगन और निर्यात ऋण की अवधि बढ़ाने का प्रावधान शामिल है।

4. **मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ उठाना**:- सरकार निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है और उसने अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और तरजीही व्यापार समझौते (पीटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि हमारे निर्यातक जापान, कोरिया, यूएई आदि जैसे प्रमुख बाजारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का बेहतर उपयोग कर सकें और हाल ही में संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों जैसे कि ईएफटीए देशों, यूके, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौतों से उत्पन्न अवसरों का प्रभावी ढंग से लाभ उठा सकें। सरकार ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता पूरी कर ली है।

****